कार्यालय प्राचार्य, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.)

(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

Tel (O)	(0734)-2511912	e-mail	principal.uecu@gmail.com
Tel (R)	(0734)-2511413	Web-site	www.uecu.ac.in
Fax	(0734)-2511912		

50 YEARS 1966-2016

क्रमांक/छा.वि./1835/2024 उज्जैन दिनांक :10/9/24

// आवश्यक सूचना//

संस्था में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत समस्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी शासकिय छात्रावासों में निवास नहीं करते है, उन्हे शासन द्वारा घोषित आवास योजना की पात्रता होगी।

आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है:-

1. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निधारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी आवास योजना का लाभ ले सकेगे।

2. ऐसे विद्यार्थी जिनका शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रावासों में प्रवेश नही हुआ हे वे विद्यार्थी आवास योजना सहायता पाने के पात्र होगें इस सबंध में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में सीट रिक्त न होने से प्रवेश नही दिया गया है का प्रमाण पत्र जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदक की प्रवेशित संस्था में कोई छात्रावास संलग्न नही हो अथवा छात्रावास में सीट रिक्त नहीं है का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

4. विद्यार्थियों का आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिये एक बार ही देय होगी।

5. किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जावेगी।

6. किरायानामा (अनुबंध) मकान मालिक एवं किरायेदार (विद्यार्थी) के निधारित स्टाम्प (शुल्क रू.500/-) पर नोटरी की जाना आवश्यक है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्टाम्प शुल्क से छुट प्रदान की गई है, इसके स्थान पर, द्विपक्षी किरायानामा पोर्टल पर अपलोड कर संस्था में जमा करावे।

7. आवेदक की कक्षाओं नियमानुसार उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

निरन्तर 2

8. आवास योजना छात्रवृति फार्म के साथ संलग्न किरायेनामें में अंकित पते का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा किया जावेगा, अंकित पते पर विद्यार्थी नही पाये जाते है तो योजना का लाभ नही दिया जा सकेगा।

9. पिता का शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा की मेरे व परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से उज्जैन शहर में कोई निजी भवन/भु-खण्ड नहीं है, तथा कोई रिस्तेंदार निवास नहीं करता है।

10. आवास सहायता आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरकर उसके साथ आय, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण- पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, प्रवेश रसीद, बैंक पासबुक, 10 वी. 12 वी, समस्त सेमेस्टर की उत्तीण अंकसूची की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चस्पा करे।

11. आवास सहायता राशि का भुगतान वर्ष में दो बार होता है, अतः प्रथम किस्त का भुगतान होने के पश्चात विद्यार्थी को पुनः ऑनलाइन फार्म भरकर देना होगा तथा अनुबधित मकान में वर्तमान में भी वही निवासरत है का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

sd/-
प्राचार्य
इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन
उज्जैन

क्रमांक/छा.वि. 1836 /2024 उज्जैन दिनांक 10/9/24

1. जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन।
3. छात्रवृति प्रभारी डॉ. ए.आर निगवाल/प्रों. बी. डाबर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन।
4. संस्था पोर्टल प्रभारी, उक्त सूचना संस्था की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
5. संस्था नोटिस बोर्ड।

प्राचार्य
इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन
उज्जैन